रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271353
CG-DL-E-27032026-271353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1561] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1561] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

का.आ. 1626(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पानीपत (पैन: AAALC0980B), जो 'विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (अधिनियम 1987 का 39) द्वारा गठित प्राधिकरण है, को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जो इस प्रकार है:-

(क) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन हेतु पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण अर्थात हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के तहत या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; और

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पानीपत -

(क) किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इस अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए संबंधित निर्धारण वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 के लिए संबंधित निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2027-28 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 37/2026/फा. सं. 300196/2/2026-ITA-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।